

## LATEHAR NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No. : 876638280223055128

Date : 28-02-2023

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री Dhanwanti Devi W/O Pravesh Kumar Saw,  
मोहल्ला Rajhar mission hata ke bagal me latehar LATEHAR  
LATEHAR , 829206  
8210668290

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0020001096000M0 वार्ड सं 2 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु\* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	137.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		137.00



नोट-

- कर निर्धारण की सूची LATEHAR NAGAR PANCHAYAT Website, [suda.harkhand.gov.in](http://suda.harkhand.gov.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहित पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय धुति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शांति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- LATEHAR NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/घाँसों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और या न ही अपने मातिका / दस्तावेज को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होस्टिंग नं.ओ का अखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह बिंशिट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant